

16<sup>9</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार  
आवाज लगावने के बावजूद साथ 500  
वजे तक वादी एवं वादी वकील में से  
कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण  
अदम धारिणी एवं अदम पैखी में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली  
अदम पैखी में फैसल शुमार होकर  
रजिस्टर से कम ही जावे। बाद गूर्ति  
दफ्तर दाखिल हो।

500